न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 47/2017

अपीलांट्स–	बनाम	रेस्पोडेंट्स–
1. सबीरा पत्नी जलाल खां 2. वहीद पुत्र जलाल खां जाति मुसलमान निवासी कोतवाली थाने के पीछे, बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 11 दिनांक 12.03.2005 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राऊराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 29/01/2020

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम वीरमनगर के नामान्तरकरण सं. 11 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 12.03.2005 के विरूद्ध दिनांक 07.09.2017 को प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा वीरमनगर के खसरा नम्बर 50, 63, 64 रकबा क्रमशः 03–05, 00–04, 44–14 बीघा भूमि नूरखां, सकूर खां, भूरखां, जलाल खां, गफार खां पि0 पीरू खां मु0 किस्तुरी बेवा पीरू कौम मुसलमान साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदार नूर खां, भूरखां व जलाल खां के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 11 में जलाल खां के वारीस के रूप में सतार, अब्दुला, बाबूखां पि0 जलाल खां व मीना पत्नी जमाल खां का नाम अन्य खातेदारान

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

के वारीसान के साथ दर्ज कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किये जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 12.03.2005 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट्स ने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 09.07.2017 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 50, 63, 64 रकबा क्रमशः 03–05, 00–04, 44–14 बीघा कुल रकबा 48–03 बीघा ग्राम विरमनगर में आया हुआ है। अपीलांट्स के पति व पिता जलाल खां उक्त भूमि के खातेदार दर्ज थे जिनकी मृत्यु दिनांक 05.10.2004 को हो जाने पर हलका पटवारी जालीपा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 11 में जलाल खां के वारिसों के रूप में सतार, अब्दुला, बाबूखां पिसरान जलाल खां व मीना पत्नि जमाल खां अंकित कर दिया। मृतक जलाल खां के वास्तविक वारिस सतार, अब्दुला, वहीद एवं सबीरा है किन्तु हलका पटवारी द्वारा भूलवश वहीद का नाम बाबूखां एवं सबीरा का नाम मीना अंकित कर दिया एवं मीना के पति का नाम जलाल के स्थान पर जमाल अंकित किया है जो लिपिकीय भूल है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा भी मृतक जलाल खां के वारिसों के बारे में जांच एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा हलका पटवारी द्वारा की गई अशुद्ध प्रविष्टियों के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित कर दिया। अपीलांट्स ग्रामीण क्षेत्र. के अनपढ होने से उन्हें राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध इन्द्राज की जानकारी नहीं हुई। अपीलाधीन नामान्तरकरण के फलस्वरूप राजस्व रेकर्ड में हुए अशुद्ध इन्द्राज के कारण अपीलांट्स को सरकारी सुविधा अनुदान प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 11 अपास्त

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर राजस्थान सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कर राजस्व रेकर्ड में मीना के स्थान पर सबीरा पत्नि जलाल खां एवं बाबूखां के स्थान पर वहीद पुत्र जलाल किए जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय पैरोकार ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलांट्स के द्वारा दी गयी वारिसान की सूचना अनुसार इन्द्राज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक कवास द्वारा की जाकर वारिसों की तसदीक की गयी है एवं तहसीलदार बाड़मेर द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है। अपीलांट्स द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान के नाम से कोई नोटिस या आम सूचना प्रकाशित नहीं कराई गयी है इसके अभाव में किसी भी खातेदार के नाम का संशोधन किया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह तसदीक किया जा सके कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान अपीलांट्स यही है। इस आधार पर अपीलांट्स की अपील आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय पैरोकार द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 11 खातेदारान नूरखां, भूरखां एवं जलाल खां की फौतगी पर विरासत का दायर किया गया है। उक्त नामान्तरकरण में मृतक जलाल खां के वारिसान में सतार, अब्दुला, बाबूखां पिसरान जलाल खां, मीना धर्मपत्नि जमाल खां इन्द्राज किए गए हैं। अपीलांट्स का कथन है कि जलाल खां के पुत्र वहीद का नाम बाबूखां एवं पत्नि सबीरा का नाम मीना भूल से अंकित किया गया है साथ ही मीना के पति का नाम भी जमाल खां दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर विरासत का सजरा भी अंकित नहीं किया है एवं न ही यह अंकित किया है कि वारिसों की सूचना एवं उनकी तसदीक किसके द्वारा की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत का दर्ज किया गया है जिसे पारित करने का प्रथम क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत का है फिर भी इसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा किस आधार पर स्वीकृत किया गया है कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस प्रकार यदि इसे ग्राम पंचायत द्वारा आम बैठक में वारिसान के बारे में जांच की जाती तो अपीलांट्स के बारे में तसदीक किया जा सकता था। अपीलांट्स द्वारा इस अपील के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य राशन कार्ड, निर्वाचन का पहचान पत्र एवं आधार कार्ड प्रस्तुत किए गए हैं

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिनमें उनके वास्तविक नाम दर्ज होना अभिकथित किया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलांट्स के नाम की प्रविष्टियां अशुद्ध की गई है, इस आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा वीरमनगर के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 11 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक खातेदार जलाल खां के वारिसान की जांच एवं सभी हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पन्न करें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर राजस्थान सत्यमेव जयते

8. निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ansh

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर